भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:अनावरण प्रारूप

Reference No.:--

Date:10/01/2018

जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र निरस्त करने संबंधी एक अनावरण प्रारूप

आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र) विनियम **2013** को निरस्त करने संबंधी एक अनावरण प्रारूप

आइआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र)विनियम **2013** को निरस्त करने संबंधी एक अनावरण प्रारूप

पृष्ठभूमि : प्राधिकरण ने जीवन बीमा हेतु प्रस्ताव प्रपत्र के लिए एक मानक प्रारूप निर्धारित करते हुए आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र) विनियम, **2013** जारी किया।

उपरोक्त विनियम के जारी होने के बाद , प्राधिकरण को, निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं ।

(i) सभी उत्पादों के लिए एकल मानक प्रस्ताव प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है ।
(ii) साधारण शुद्ध सावधी पालिसियों, एण्डोमेंट और मनी बैक किस्म की, जिसमें चिकित्सा जाँच जरूरी नहीं , प्राथमिक रूप से ग्रामीण और माइक्रो (सूक्ष्म) बीमा खण्डों की जरूरतों के लिए 10 या 11 पेज के विस्तृत प्रस्ताव प्रपत्र भरवाना कठिन होगा ।
(iii) भावी ग्राहकों के लिए आय की इतनी महीन जानकारी देना सहज नहीं होगा ।
(iv) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव प्रपत्रों को स्वीकृति पहले ही आईआरडीए द्वारा दिया जाना आवश्यक है।
(v) सभी वर्तमान प्रस्ताव प्रपत्रों और बीमाकर्ता प्रणाली में रद्दोबदल के लिए भारी लागत शामिल है ।

प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर नियमों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है ताकि उक्त विनियम के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक चर्चा व विचार विमर्श करने में सुविधा हो ।
फिलहाल, जीवन बीमाकर्ता प्रस्ताव प्रपत्र आईआरडीएआई को फाइल करते हैं और प्रस्ताव के निर्गम के समय उनकी समीक्षा फाइल व प्रयोग क्रियाविधि के अंतर्गत की जाती है । प्रस्ताव प्रपत्र जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विशिष्ट उत्पादों के लिए अनुकूलित हैं और सभी कंपनियों तथा उत्पादों के लिए किसी एकरूपी प्रस्ताव प्रपत्र प्रारूप को अनिवार्य करने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है ।

इसलिए अब आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र) विनियम 2013 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

सभी संबंधित हितधारकों की टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएँ 23 जनवरी, 2018 तक life@irda.gov.in or gautam.kumar@irda.gov.in को अग्रेषित की जा सकती हैं।